"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]　　　　रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2010—पौष 6, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/33/2010/वाक/पांच (69).—राज्य शासन एतद्द्वारा जारी छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2010/वाक/पांच (67) दिनांक 09-11-2010 में निम्नलिखित संशोधित करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 04 के उपखंड (एक) में उल्लेखित शब्दों एवं अंकों "दिनांक 31-12-2010" के स्थान पर "दिनांक 31-01-2011" किया जाय.

2. उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 09 में वर्णित कार्यवाही हेतु समय-सीमा की तालिका के अनुक्रमांक 1 के सामने कालम 3 में उल्लेखित अंकों एवं शब्दों "31 दिसम्बर, 2010" के स्थान पर "31 जनवरी, 2011" किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.